

# हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(पुनः जारी (Reissue) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र)  
(कृपया निर्देश पीछे देखें)

केस नं.....  
(खाली छोड़ा जाए)

1. प्रार्थी का नाम ..... (In English).....
- पिता का नाम ..... (In English).....
- माता का नाम ..... (In English).....
- एनरोलमैट नं. .... जन्म-तिथि.....
- अदा की गई राशि ..... बैंक ड्राफ्ट नं./बोर्ड रसीद संख्या..... दिनांक.....
2. प्रार्थी द्वारा पुनः जारी(Reissue) प्रमाण-पत्र की पहली/दूसरी/तीसरी प्रति लेने का उल्लेख किया जाये:.....
3. पुनः जारी (Reissue) प्रमाण-पत्र लेने का कारण.....  
(पुनः जारी(Reissue) प्रमाण-पत्र मूल प्रमाण-पत्र के गुम हो जाने, चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने की अवस्था में ही जारी किया जाता है।)
4. परीक्षा का नाम..... अनुक्रमांक..... महीना/सत्र एवं वर्ष .....  
परिणाम (उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण)..... प्राप्तांक .....
- विद्यालय व जिला का नाम जहाँ से परीक्षा उत्तीर्ण की .....  
विषय:- 1..... 2..... 3.....  
4..... 5..... 6..... 7.....
5. कॉलम संख्या 04 में वर्णित परीक्षा से पूर्व दी गई इसी कक्षा की परीक्षा का विवरण जिसके अन्तर्गत आपने विद्यालय के नियमित परीक्षार्थी के रूप में बोर्ड परीक्षा दी एवं परिणाम अनुत्तीर्ण / कम्पार्टमेन्ट रहा :  
अनुक्रमांक..... वर्ष एवं महीना/सत्र..... परिणाम.....  
विद्यालय का नाम.....
6. स्थाई पता :..... दूरभाष नं.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर.....

सत्यापन

(सत्यापन करने वाले अधिकारी द्वारा स्वयं भरा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी ..... पुत्र/पुत्री श्री .....  
ने वर्ष एवं महीना/सत्र ..... में अनुक्रमांक ..... के अन्तर्गत ..... परीक्षा  
उत्तीर्ण की है। प्रार्थी द्वारा आवेदन-फार्म में भरे गए उपरोक्त विवरण सही हैं और प्रार्थी ने मेरे समक्ष आवेदन-पत्र  
पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रार्थी यहां अपनी पासपोर्ट  
साईज की फोटो चिपकाएं  
व इस पर सत्यापन कर्ता  
के हस्ताक्षर व मोहर  
आवेदन-पत्र व फोटो दोनों  
को छूते हैं।

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर .....

नाम : .....

पद : .....

मोबाईल नं. : .....

विद्यालय/संस्था की मोहर: .....

(केवल कार्यालय प्रयोगार्थी)

नोट: आवेदन-पत्र की जांच कर ली गई है और ठीक पाया गया है। प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाये।

अधीक्षक (प्रमाण-पत्र)

सहायक

लिपिक

पूरा नाम सहित पत्र व्यवहार का पता  
(प्रार्थी द्वारा स्वयं भरा जाए)  
नाम/पिता का नाम.....  
म0न0.....  
गाव व तहसील.....  
जिला .....  
पिन कोड.....  
मोबाईल नं0.....

पूरा नाम सहित पत्र व्यवहार का पता  
(प्रार्थी द्वारा स्वयं भरा जाए)  
नाम/पिता का नाम.....  
म0न0.....  
गाव व तहसील.....  
जिला .....  
पिन कोड.....  
मोबाईल न0.....

## (महत्वपूर्ण निर्देश)

1. सभी प्रकार के पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र जारी करवाने हेतु आवेदन—पत्र व शुल्क अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन ही जमा करवाना होगा। ऑनलाईन आवेदन हेतु परिवार पहचान—पत्र की अनिवार्यता है। ऑफ लाईन भेजा गया आवेदन—पत्र व शुल्क मान्य नहीं होगा।
2. बोर्ड कार्यालय द्वारा मिडल/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी(शैक्षिक) वर्ष 1970 से 2003 तक की परीक्षाओं के पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र बिना विषयवार अंक विवरण के ही जारी किये जाते हैं तथा मिडल/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय) के वर्ष 2013 तक के पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र बिना विषयवार अंक विवरण के ही जारी किये जाते हैं।
3. कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से न तो प्रार्थना—पत्र दे सकता है और न ही अन्य व्यक्ति का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर सकता है। प्रमाण—पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाता है।
4. यदि आवेदन—पत्र पूर्ण रूप से ठीक भरा हुआ है और विधिवत प्रमाणित है तो आवेदन—पत्र व शुल्क प्राप्ति की तिथि से सामान्यतः एक माह के अन्दर—अन्दर प्रमाण—पत्र जारी कर दिया जाता है।
5. पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए प्रार्थी द्वारा निर्धारित आवेदन—पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाने के अतिरिक्त सलंगन प्रोफोर्मा पर Undertaking भी देनी होगी, जिसमें उन सभी तथ्यों का हवाला देना होगा जिसके कारण उसे पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र की दूसरी प्रति लेनी आवश्यक है। इसमें पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र की पहली प्रति गुम होने/चोरी होने व नष्ट होने के कारण ऑन लाईन भरना होगा।
6. पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र की तीसरी प्रति लेने के लिए जो औपचारिकताएं दूसरी प्रति लेने के लिए आवश्यक हैं वे सभी पूर्ण करनी होगी और इनके अतिरिक्त, यदि दूसरा पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र चोरी हो गया है या गुम हो गया है तो उसके लिए एफ.आई.आर. भी दर्ज करवानी होगी जिसकी एक प्रति आवेदन—पत्र के साथ सलंगन करनी होगी।
7. पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र की तीसरी प्रति जारी करने के बाद अन्य पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया जायेगा, परन्तु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यदि अध्यक्ष महोदय निर्णय करें कि केस वास्तविक और वाजिब है तो उस अवस्था में प्रार्थी द्वारा प्रमाण—पत्र की तीसरी प्रति लेने के लिए जो औपचारिकताएं आवश्यक है उन सभी को पूर्ण करना होगा और अध्यक्ष महोदय के स्पष्ट आदेशों के बाद पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र की चौथी प्रति जारी की जा सकेगी।
8. यदि कोई प्रार्थी अपने पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र की प्रति दस्ती लेना चाहता है तो उसे जिन कारणों से प्रमाण—पत्र की प्रति दस्ती लेना आवश्यक है तो सहायक सचिव/अधीक्षक (प्रमाण—पत्र) से अपने आवेदन—पत्र पर अनुमति करवानी होगी तथा प्रार्थी स्वयं अधीक्षक(प्रमाण—पत्र) के समक्ष उपस्थित होकर अपने दो फोटों एवं दो फोटोयुक्त पहचान—पत्र प्रस्तुत करने उपरान्त दस्ती प्राप्त कर सकता है। प्रमाण—पत्र दस्ती लेने के लिए 300/-रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। दस्ती प्रमाण—पत्र लेने हेतु आवेदन—पत्र व शुल्क Online ही दोपहर 1:00 बजे तक अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन स्वीकृत होंगे।
9. एक मास के अन्दर प्रमाण—पत्र प्राप्त न होने की अवस्था में प्रार्थी द्वारा सहायक सचिव (प्रमाण—पत्र), हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी को ई—मेल ([ascer@bseh.org.in](mailto:ascer@bseh.org.in)) के माध्यम से लिखना चाहिए और अपने उक्त पत्र में अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का वर्ष एवं महीना, जिला और शुल्क की रसीद संख्या भी लिखना चाहिए ताकि शीघ्र कार्यवाही की जा सके।
10. प्रार्थी को प्रमाण—पत्र में उसके विवरण परीक्षाफल घोष—पत्र में दिए गए विवरणों अनुसार ही जारी किया जाएगा।
11. बोर्ड कार्यालय द्वारा सूचित त्रुटि/त्रुटियों का समाधान करवाने का उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा। इस कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में बार—बार पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा एक माह के बाद प्रार्थी द्वारा भेजा गया आवेदन—पत्र स्वतः रद्द हो जाएगा। इसके बाद पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र हेतु प्रार्थी द्वारा नया आवेदन—पत्र निर्धारित शुल्क सहित ऑन लाईन जमा करवाना होगा।
12. प्रार्थी कॉलम संख्या 03 में पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र के लिए आवेदन का कारण अवश्य लिखें।
13. आवेदन पत्र पर प्रार्थी अपने हस्ताक्षर अवश्य करें।
14. प्रार्थी आवेदन पत्र पर पते के दोनों कॉलम में स्वयं अपने हाथ से पिन कोड सहित पूर्ण पता एवं दूरभाष नं. अवश्य लिखें।
15. अन्य राज्यों के प्रार्थी को पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र के लिए, आवेदक को ऑफलाईन माध्यम से दो पहचान—पत्र/निवास प्रमाण—पत्र की प्रति के साथ प्रार्थना—पत्र जमा करना/भेजना होगा एवं आवश्यक शुल्क दस्ती जमा किया जा सकता है या सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र लेने हेतु निम्नलिखित नियमों अनुसार ही आवेदन—पत्र व फोटो सत्यापित करायें, अन्यथा आपका आवेदन—पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

1. नियमित परीक्षार्थी का आवेदन—पत्र एवं फोटो उसी सरकारी/मान्यता प्राप्त विद्यालय के मुख्याध्यापक/प्राचार्य द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है जिसके माध्यम से उसने परीक्षा दी थी। यदि कोई विद्यालय किसी कारण से बन्द हो गया है तो उस अवस्था में प्रार्थी अपना आवेदन—पत्र सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूल बन्द होने की रिपोर्ट करवाते हुए सत्यापित करवाएं।
2. जिस परीक्षार्थी ने स्वयंपाठी (Private) परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की थी वह अपना आवेदन—पत्र शिक्षा ग्रहण किये गये अन्तिम राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय के मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य/मुखिया द्वारा सत्यापित करवा सकते हैं। उन्हें आवेदन—पत्र के कॉलम संख्या 5 में परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्व इसी विद्यालय के माध्यम से इसी कक्षा की परीक्षा देने से संबंधित समस्त विवरण भरने होंगे। इसके अतिरिक्त प्रार्थी स्वयं अपना आवेदन पत्र शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी/विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष/बोर्ड के सदस्य/बोर्ड के 'क' श्रेणी के अधिकारी से भी सत्यापित करवा सकते हैं।
3. (क) ओपन स्कूल का पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को किसी भी राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय के मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य/मुखिया से आवेदन—पत्र व फोटो सत्यापित करवाना होगा। (ख) क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी (CTP) के अन्तर्गत परीक्षा पास करने वाले आवेदक को अपना आवेदन—पत्र व फोटो उस अंतिम विद्यालय के प्राधानाचार्य/मुख्याध्यापक से सत्यापित करवाना होगा, जहां पर उसने अध्ययन किया था। उन्हें आवेदन—पत्र के कॉलम संख्या 05 में परीक्षा देने सम्बन्धित समस्त विवरण भरने होंगे।
4. D.ED/D.El.Ed. के परीक्षार्थी जो किसी सेवा में कार्यरत है उन द्वारा पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन पत्र व फोटो अपनी संस्था के मुखिया से सत्यापित करवाना होगा तथा जो परीक्षार्थी किसी सेवा में नहीं है उन द्वारा अपना आवेदन—पत्र व फोटो उस संस्था के मुखिया से सत्यापित करवाना होगा जहां से उसने D.ED/D.El.Ed.परीक्षा उत्तीर्ण की है।
5. HTET के परीक्षार्थी पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन—पत्र व फोटो किसी भी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय के मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य/मुखिया से सत्यापित करवाकर भेजें।
6. जिस परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण/रि—अपीयर अथवा कम्पार्टमेंट है, उन्हें पुनः जारी (Reissue) आवेदन—पत्र एवं फोटो सत्यापित करवाना अनिवार्य नहीं है।

#### विभिन्न प्रमाण—पत्रों के लिए निर्धारित सामान्य शुल्क

पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र/अनुत्तीर्ण कार्ड/कम्पार्टमेंट कार्ड के लिए शुल्क निम्न प्रकार से है:-

	डाक के माध्यम से	दस्ती प्राप्त करने हेतु
पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र/अनुत्तीर्ण कार्ड/ कम्पार्टमेंट कार्ड की प्रथम प्रति के लिए	800/- रुपये	1000/- रुपये
पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र/अनुत्तीर्ण कार्ड/ कम्पार्टमेंट कार्ड की दूसरी प्रति के लिए	1000/- रुपय	1300/- रुपये
पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र/अनुत्तीर्ण कार्ड/ कम्पार्टमेंट कार्ड की तीसरी प्रति के लिए	1200/- रुपय	1500/- रुपये

टिप्पणी : जिन परीक्षाओं की परिणाम शीट्स नष्ट कर दी गई हैं/किन्हीं कारणों से खराब/नष्ट हो गई हैं या उपलब्ध नहीं हैं, उनसे संबंधित प्रमाण—पत्र में आवेदक को विषयवार अंक विवरण नहीं दिये जायेंगे। उन्हें केवल बिना विषयवार अंक विवरण के पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र ही जारी किये जाएंगे।

## Self Declaration/Undertaking

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी .....  
..... जिला ..... निम्न अनुसार Undertaking देता/देती  
हूँ :—

01. यह कि मैंने अनुक्रमांक ..... के अन्तर्गत मिडल/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/व्यवसायिक/ओपन), डी०ए०/डी०ए०ए०/एचटेट परीक्षा वर्ष ..... सत्र/मास ..... में ..... (विद्यालय का नाम)/जिला ..... से दी है।
02. यह कि मेरे पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र की प्रथम/द्वितीय प्रति गुम/नष्ट हो गई है और अब मुझे इसकी दूसरी/तीसरी प्रति की नितान्त आवश्यकता है।
03. यह कि मुझे जारी पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र की प्रथम / द्वितीय प्रति गुम होने के बाद मुझे नहीं मिली है। यदि भविष्य में मुझे पुनः जारी (Reissue) प्रमाण—पत्र की प्रथम/द्वितीय प्रति कहीं मिलती है तो मैं उसे बोर्ड कार्यालय में जमा करवा दूंगा/दूंगी और उसका दुरुपयोग नहीं करूंगा/करूंगी।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना सत्य है और मेरे द्वारा इसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर: .....

दिनांक: .....

पता : .....

.....  
मोबाइल नॉ .....